

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...539./2023

30.09.2023

आवेदक मोहम्मद शमीम शाद, पिता-स्व० बसीर उद्दीन, साकिन-जलवावाद, पोस्ट-कोडरमा, थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा (झारखण्ड) द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
कोडरमा	333	85	629	04 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ...8.7./10...../2023 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

07.10.2023

अभिलेख उपस्थापित

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333 अन्तर्गत खाता संख्या-85, प्लॉट संख्या-629, रकबा-14 डी० भूमि ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-97/10 पर मो० नइम उद्दीन वो मो० समीम उद्दीन, पिता-मो० बसीर उद्दीन के नाम से जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-20900, दिनांक 13.11.1971 के द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या-58 एवं 59, दिनांक 05.10.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

07. आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नांकित कागजात प्रस्तुत किया गया है :-

- (1.) केवाला सं०-20900, दिनांक 13.11.1971 की छायाप्रति।
- (2.) ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-97/10 की छायाप्रति।
- (3.) लगान रसीद वर्ष 2023-24 की छायाप्रति।
- (4.) शपथ पत्र सं०-58 एवं 59, दिनांक-30/09/2023 की मूल प्रति।

08. यदि जमाबंदी विक्रेता के स्वयं के नाम पर दर्ज नहीं है तो आवेदक द्वारा

(क) वंशावली दी गई है अथवा नहीं :- हाँ

(ख) अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्राप्त है अथवा नहीं :- हाँ

09. प्रश्नगत भू-खण्ड भू-हदबंदी/भवन लीज या सरकारी संस्था की नहीं है तथा छोटानागपुर अधिनियम 1908 एवं इसके नियमों के अन्तर्गत भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। नहीं

10. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मतव्य :-
महाशय,

मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333 अन्तर्गत खाता संख्या-85, प्लॉट संख्या-629, रकबा-14 डी० भूमि ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ सं०-97/10 पर मो० नइम उद्दीन वो मो० समीम उद्दीन, पिता-मो० वसीर उद्दीन के नाम से जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-20900, दिनांक 13.11.1971 के द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। आम इस्तेहार में आपत्ति प्राप्त नहीं होने के पश्चात् मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333 अन्तर्गत खाता संख्या-85, प्लॉट संख्या-629, रकबा-04 डी० भूमि के निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

हस्ताक्षर
अंचल निरीक्षक

हस्ताक्षर
राजस्व उप-निरीक्षक
नाम-अनिल कुमार
हल्का संख्या-IV